-05-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या–22/2023

राज्य बनाम् निशी पाण्डेय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

21.07.2023

–:: आदेश ::–

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का पत्रांक–133/डी०सी०बी०, दिनांक–28.03.2023 द्वारा पाण्डेय गिरोह के संचालिका निशी पाण्डेय, पति–स्व० किशोर पाण्डेय, सा०–पतरातु बस्ती, थाना–पतरातू जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम–2002 की धारा–3 (A)(B)(i)(ii) के तहत् प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। विपक्षी को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी एक विधवा औरत है जिसके दो (02) छोटे–छोटे बच्चे है एवं वे सामाजिक कार्यकर्ता है पुलिस के द्वारा बिना किसी साक्ष्य के केश किया गया है। कुछ केश 2018 में दर्ज किया गया है लेकिन पुलिस के द्वारा आजतक चार्जशीट दाखिल नही किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा किया गया केश असत्य एवं बनवाटी है। जबकी विपक्षी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा पुलिस को जाँच में सहयोग करती है। उन्होंने बहस के दौरान कहा कि जो चार केश विपक्षी पर लगया गया है उसमें दो केश में विपक्षी का नाम भी शामिल नहीं है। उन्होनें विपक्षी पर दायर लंबित मामलों की जाँच हेतु पुलिस को सहयोग करने का आश्वासन दिये है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि पर पूर्णनियंत्रण तथा क्षेत्र में लोक–शांति बनाये रखने हेतु विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम–2002 की धारा–3 (A)(B)(i)(ii) के तहत् कार्रवांई की जा सकती है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है अभियुक्त के विरूद्ध अपराधिक इतिहास जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :–

1. पतरातू थाना काण्ड संख्या–76/2022, दिनांक–04.04.2022, धारा–342/171/(E)/171(F)/504/506/120(B) भा०द०वि०, 68(A) Panchayti Raj Act 2001 – 123 Part (i)(ii) The representation of the People act 1951
2. पतरातू थाना काण्ड संख्या–142/18, दिनांक–14.05.18, धारा–143/353/224/225/120बी भा०द०वि० एवं 25(1–बी)ए/26/27/30/35 आर्म्स एक्ट।
3. पतरातू थाना काण्ड संख्या–328/18, दिनांक–31.10.18, धारा–25(1–बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
4. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या–198/19, दिनांक–28.07.2019, धारा–143/353/504/506 भा०द०वि०

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध कई संगीन मामले दर्ज है। अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि–व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्‌देश्य से पाण्डेय गिरोह के संचालिका निशी पाण्डेय, पति–स्व० किशोर पाण्डेय, सा०–पतरातु बस्ती, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम–2002 की धारा–3 (A)(B)(i)(ii) के तहत् निम्न आदेश दिया जाता है :–

1. पाण्डेय गिरोह के संचालिका निशी पाण्डेय, पति–स्व० किशोर पाण्डेय, सा०–पतरातु बस्ती, थाना–पतरातु जिला–रामगढ़ को अगामी 06 (छः) महीने के लिए **प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजरी** लगाने हेतु आदेश दिया जाता है।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल से लागु समझा जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

माधवी मिश्रा
21-7-23
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.07.25 16:40:51 +05:30
Location: 192.168.137.1